

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राकेश कुमार सिंगला (तत्कालीन उप निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब सरकार) और उनकी पत्नी रचना सिंगला से संबंधित लगभग 1.36 करोड़ रुपये (कुल) की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें राकेश कुमार सिंगला ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो लगभग 1.36 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पंजाब पुलिस के सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि राकेश कुमार सिंगला, जो पंजाब सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में उप निदेशक के पद पर तैनात एक लोक सेवक थे, ने रिश्वत ली, जिससे उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। अपराध से प्राप्त इस आगम को राकेश कुमार सिंगला, उनकी पत्नी रचना सिंगला और उनके परिवार के सदस्यों ने अपने बैंक खाते में जमा करके और विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से फर्जी प्रविष्टियों की व्यवस्था करके और अचल संपत्तियों में निवेश करके आगे बढ़ाया।

आगे की जाँच जारी है।